।।समग्र शोध संस्थान।।

व्यवस्था सुधार-घोषणापत्र

(विचारार्थ प्राथमिक प्रारूप)

भूमिका

स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान हमने स्वतंत्र भारत में खुशहाली के सपने देखे थे। 1947 में स्वतंत्रता दिवस की पूर्वसंध्या पर प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की थी-

''भारत की सेवा अर्थात उन करोड़ों की सेवा जो पीड़ित हैं। इसका अर्थ हैं- गरीबी, अशिक्षा, रोग और अवसर की असमानता की समाप्ति। हमारी पीढ़ी के महानतम पुरुष की महत्वाकांक्षा हर आंख से हर आंसू पोंछने की रही है।''

पर स्वतंत्रता के 60 वर्ष पश्चात भी क्या हालात बदले हैं? स्वतंत्रता के समय जितनी जनसंख्या थी, उससे अधिक लोग सरकार द्वारा निर्धारित तथाकथित गरीबी रेखा के नीचे आज हैं। खुद सरकार द्वारा 2007 में गठित अभिजित सेन समिति की रिपोर्ट के अनुसार देश की 77 प्रतिशत आबादी (लगभग 84 करोड़ लोग) 20 रुपये प्रतिदिन से कम पर अपना गुजारा चलाने के लिये अभिशप्त हैं। 2008 में सर्वोच्य न्यायालय द्वारा मनोनीत सक्सेना समिति ने भी कहा कि देश की 50 प्रतिशत आबादी गरीबी रेखा के नीचे मानने योग्य है। संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार भारत के लगभग 50 प्रतिशत बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। अगर आजादी के 60 वर्ष बाद भी हम सभी को रोटी भी नहीं दिला पाए हैं, तो जिस व्यवस्था के सहारे हम देश चला रहे हैं, उसमें जरूर खोट है।

गांधीजी ने पश्चिमी संस्कृति को आसुरी कहा था। उस आसुरी संस्कृति से देश को बचाने के लिये तथा भारत की श्रेष्ठ संस्कृति की रक्षा करने के लिये ही गांधी जी ने 'स्वराज्य' का सपना देखा था। किन्तु आजादी के बाद तो हमने पश्चिम की संस्कृति का अधिकाधिक अंधुानुकरण किया है। इस कारण भारतीय संस्कृति के शाश्वत जीवनमूल्य भी संकट में हैं। गांधीजी के भारत की गिनती विश्व के भ्रष्टतम देशों में होना इस शर्मनाक क्षरण का प्रत्यक्ष उदाहरण है।

गत 60 वर्षों में सत्ता परिवर्तन तो अनेक बार हुआ। पर देश और जन की दशा में कोई विशेष बदलाव नहीं हो पाया। यह बात सिद्ध करती है कि वर्तमान व्यवस्था में ही खामियां हैं। अत व्यवस्था में सुधार ही एकमेव रास्ता है। यद्यपि वर्तमान व्यवस्था को जड़ से उखाड़कर नयी व्यवस्था स्थापित करना असंभव नहीं है पर देश की राजनैतिक तथा सामाजिक संवेदनशील परिस्थितियों के कारण 'व्यवस्था सुधार' का रास्ता ही समीचीन है। व्यवस्था सुधार के अंतर्गत जहां कुछ बातें पूरी तरह बदलनी होंगी तो अन्य बातों में न्यूनाधिक बदल करके लक्ष्य प्राप्त करना होगा। इस 'व्यवस्था सुधार' के द्वारा हम भारत का ऐसा 'अभ्युदय' प्राप्त करना चाहते हैं जिसमें संस्कृति और समृद्धि का एकसाथ संतुलित विकास हो।

वर्तमान व्यवस्था में हम क्या-क्या सुधार करना चाहते हैं उन प्रमुख बातों को सबके विचारार्थ प्रस्तुत कर रहें हैं। इनमें 'एक सधे से सब सधे' वाली प्रमुख बातों को स्थान दिया गया है। यह सबके विचारार्थ प्राथमिक प्रारूप है। अत: व्यवस्था सुधार के अंतिम घोषणा पत्र में सबकी सहमति से अनेक बातें घट-बढ़ सकती हैं।

व्यवस्था सुधार-विचारणीय बातें

1 लोकतंत्र का भारतीयकरण:- लोकतंत्र राज्य संचालन की श्रेष्ठ व्यवस्था के रूप में सर्वस्वीकृत है। भारत के प्राचीन राज्यशास्त्र के तत्त्वज्ञान की कुछ श्रेष्ठ बातों का समावेश वर्तमान लोकतंत्र को और अधिक सक्षम बनायेगा। प्राचीन भारत में विधि-विधान बनाने तथा उसे लागू करने का अधिकार अलग-अलग लोगों के हाथ में था। देश में स्वीकृत वर्तमान लोकतांत्रिक ढांचे में विधायिका तथा कार्यपालिका का घालमेल है। उसे दूर करने के लिये प्राचीन तत्त्वज्ञान से प्रेरणा लेकर विधायिका और कार्यपालिका की स्वतंत्र व्यवस्था हो जो भारत के लिये कल्याणकारी तथा विश्व के लिये मार्गदर्शक होगी।

2. बेहतर लोकतंत्र के लिये चुनाव सुधार:- लोकतंत्र में सत्ता की प्राप्ति चुनावों के माध्यम से ही होती है। पर वर्तमान चुनाव प्रणाली में ऐसे दोष हैं कि जनमत का सही प्रतिनिधित्व हो ही नहीं पाता है। जनमत सही परिलक्षित होने के लिये न्यूनतम चार सुधारों की आवश्यकता है- (1) मतदान को अनिवार्य बनाना, (2) विजय के लिये 50 प्रतिशत से अधिक मतों की प्राप्ति का नियम (3) चुनाव में उम्मीदवारों को नकारने का अधिकार तथा (4) चुनाव खर्च का यथासंभव सरकारीकरण।

3. ग्राम पंचायतों को आर्थिक संसाधनः- गांधीजी के ग्राम स्वराज्य का सपना तथा सहभागी लोकतंत्र का विकास ग्राम-पंचायतों के सशक्तिकरण के बिना संभव नहीं। सन 1993 में हुये 73 वें संविधान संशोधन के द्वारा ग्राम पंचायतों को कुछ अतधिकार तो मिले पर आर्थिक संसाधनों के अभाव में वे अधिकार कागजों में ही रह गये। चूंकि गांवों में आज भी 70 प्रतिशत आबादी रहती है अतः पूरे देश में सभी पंचायतों को एक समान आर्थिक संसाधन देने के लिये केन्द्र सरकार के बजट से 7 प्रतिशत राशि सीधे ग्राम पंचायतों को हस्तातंरित हो।

4. अर्थशास्त्र का भारतीयकरणः- गांधीजी कहते थे कि नीतिविहीन अर्थप्राप्ति पाप है। प्राचीन भारत का यही सिद्धांत है। हमारे यहां धर्मानुसार अर्थ और धर्मानुसार काम (उपभोग) का सिद्धांत रहा। पर पश्चिमी देशों में विकसित अर्थशास्त्र ने अपने को नीतिशास्त्र से अलग कर लिया। फलतः वह आज मानव और प्रकृति दोनों के शोषण का साधन बन गया है। अतः भारत में सारे अर्थशास्त्र की पुनर्रचना करनी होगी। इस पुनर्रचना में अर्थशास्त्र के दोनों अंगों- राज्य की अर्थनीति और व्यक्ति के अर्थपुरुषार्थ दोनों का निर्धारण नैतिकता के मापदण्ड पर करना होगा।

5. बढ़ती आर्थिक विषमता पर नियंत्रणः- आज विश्व पर निगमीकरण (Corporatisation) हावी हो चुका है। अर्थतंत्र ही नहीं राज्यतंत्र भी इन निगमों के शिकंजे में फंस गये हैं। विश्व की 80 प्रतिशत से अधिक संपत्ति कुछ सौ निगमों की गिरफ्त में है। सरकार और मीडिया पर इनकी पकड़ के आधार पर ये निगम ऐसी नीतियों को ही बढ़ावा देते हैं जो उनके हित में हो। विश्व से गरीबी मिटाने तथा आर्थिक विषमता को दूर करने के लिये इन निगमों पर नियंत्रण सथापित करना आवश्यक है। इसके लिये ऐसी व्यवस्था करनी होगी जिससे नवउद्यमियों (Entrepreneurs) को तो बढ़ावा मिलता रहे पर स्थापित निगमों के मर्यादाहीन विस्तार पर नकेल कसी जा सके।

6. जुआमुक्त अर्थव्यवस्था :- वर्तमान अर्थतंत्र मुक्तबाजार के नाम पर जुआरी अर्थतंत्र (Casino economy) में बदल चुका है। आज विश्व में वस्तुओं के विनिमय से कई गुना अधिक मुद्रा या वित्तीय विनिमय होता है। हमारी अर्थव्यवस्था भी इस दोष से मुक्त नहीं हैं। इस पैसे से पैसा कमाने के 'जुआरी अर्थतंत्र' को ध्वस्त करना होगा। भारतीय संस्कृति में जुआ खेलना पाप है, अतः इस जुआरी अर्थतंत्र के विकल्प को स्थापित करना होगा।

7. भ्रष्टाचार पर नियंत्रण :- आर्थिक भ्रष्टाचार से जैसे राज्य व्यवस्था को मुक्त करने की आवश्यकता है वैसे ही स्वाभिमानी समाज के लिये करचोरी जैसे भ्रष्टाचार को समाप्त करना होगा। यहां पर कौटिल्य द्वारा प्रदर्शित मार्ग का अवलंबन करना होगा। राज्य व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिये प्रमुख पदों (key posts) पर बैठे नेताओं और राजसेवकों का वेतनमान बहुत अधिक बढ़ाकर फिर उन पर कठोर दण्डात्मक कार्यवाही की व्यवस्था खड़ी करनी होगी। करचोरी से समाज को मुक्त करने के लिए करदरों को न्यूनतम करना होगा तथा कराधान को सरल बनाना होगा।

8. विकास और रोजगार के लिए संतुलित उद्योगनीति :- विश्व व्यापार संगठन (WTO) का हिस्सा बनने के कारण हम मुक्त व्यापार से बंध चुके हैं। अतः औद्योगिक उत्पादन पर विचार करते समय हमें यह ख्याल रखना होगा कि हमारे उत्पादों के विश्व बाजार में टिकने और हमारे देश में विदेशी वस्तुओं की बाढ़ को रोकने के लिये उत्तम गुणवत्ता तथा सस्ती वस्तुओं का उत्पादन हो। ऐसे सैकड़ों उत्पाद हैं जिनसे बढ़ती जनसंख्या के लिये रोजगार सृजन हो सकता है। अतः कम पूंजी कम लागत पर अधिक रोजगार सृजन करने वाले उद्योगों को प्रोत्साहन तथा सहायता की नीति अपनानी होगी।

9. शाश्वत ऊर्जा के लिये नीति :- भारत की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि यहां अधिकांश स्थानों पर सूर्य 300 दिनों तक आकाश में चमकता रहता है। यह भारत के लिये वरदान ही है। विश्व के विकसित देशों में यह वरदान नहीं हैं। अतः वे सौर ऊर्जा पर उतना ध्यान नहीं दे रहे हैं। भारत में सौर ऊर्जा के दोहन से चमत्कार हो सकता है। सूर्य से प्राप्त तापीय ऊर्जा (Solar Thermal Power) से विद्युत उत्पादन की तकनीक उपलब्ध भी है और तुलनातमक दृष्टि से किफायती भी। इसी प्रकार उद्योगों में जहां ताप के लिये ईंधन या विद्युत का उपयोग होता है वहां भी सौर ताप के उपयोग को बढ़ावा दिया जाना जरूरी है। सौर ताप से विद्युत उत्पादन को प्रोत्साहन और सहायता देकर भारत शाश्वत ऊर्जा प्राप्त करके आत्मनिर्भर बन,ऐसी नीति बनानी होगी।

10. ऋषि कृषि परंपरा का पुनराविष्कार :- प्रसिद्ध गांधीवादी विद्वान धर्मपालजी के अनुसार अंग्रेजों ने तामिलनाडु के गजट में लिख रखा है कि वहां अठारहवी सदी में 10 टन प्रति हेक्टेयर तक धान होता था। तब न रासायनिक खाद थी और न ही रासायनिक कीटनाशक। फिर भी 10 टन तक प्रति हेक्टेयर उत्पादन होता था। पश्चिम के अंधानुकरण में हमने अपने पूर्वजों द्वारा अर्जित और विकासित ज्ञान को भी भूला दिया है। देश को खाद्यान्न की दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाने के लिये हमें नैसर्गिक कृषि, जैविक कृषि आदि को अधिक परिष्कृत करते हुये अपने पूर्वजों द्वारा अर्जित ज्ञान तक पहुंचना होगा।

11. सिंचाई से समृद्धि :- आज कालाहांडी भारत की गरीबी के चेहरे के रूप में दिखाया जाता है। यहां मात्र 12 प्रतिशत भूमि पर सिंचाई होती है। पर हमेशा ऐसा नहीं था। प्राप्त दस्तावेजों के अनुसार डेढ़ दो सौ साल पहले तक कालाहांडी में 48 प्रतिशत भूमि पर सिंचित खेती होती थी। पर अंग्रेजी शासन काल में पंचायतों तथा स्थानीय प्रशासन व्यवस्था के नष्ट हो जाने के कारण सारी सिंचाई व्यवस्था धीरे-धीरे खत्म हो गयी और समृद्धि के स्थान पर बदहाली आ गयी। कमोबेश पूरे देश में ऐसा ही हुआ है। सौभाग्य से प्राचीन प्रतिभा का अनुसरण करते हुये अनेक स्थानों पर वर्षा जल को रोककर सिंचाई सुविधा को पुनर्जीवीत किया गया है। उन गांवों और उन क्षेत्रों में सिंचाई से फिर समृद्धि लौट आयी है। इस वर्षा जल को संचित करने वाली विकेन्द्रीत व्यवस्था को प्रोतसाहन और सहायता की नीति बनानी होगी। तभी देश में सिंचाई से समृद्धि आ पायेगी।

12. नस्ल सुधार से गोरक्षा :- यद्यपि आज भी कृषि के बाद दुग्ध उत्पादन गांवों में सबसे बड़ा रोजगार का साधन है। पर हम गोसंवर्धन की प्राचीन परिपाटी को भूल चुके। इस कारण हमारी गायें अल्प दूध देने वाली हो गयी हैं। वैसे तो नस्लसुधार का पूरा पाठ वेदों में उपलब्ध है पर पतनकाल में हम उसे भूल गये। अब कुछ स्थानों पर नस्लसुधार के सफल प्रयोग हुये हैं। जिससे पहले 1-2 लीटर दूध देनेवाली गाय अब उसी वंश के नस्लसुधार से 10-12 लीटर दूध देने लगी हैं। इस अर्जित ज्ञान को यथाशीघ्र पूरे भारत में पुनः फैलाना होगा जिससे गोपालन लाभदायी व्यवसाय भी हो सके तथा गोरक्षा भी हो सके।

13. शिक्षा बने संस्कृति संवाहक :- गांधीजी ने हिंद स्वराज्य में लिखा है कि वह शिक्षा व्यर्थ है जो नैतिकता न सीखाती हो। अंग्रेजों को तो भारत में सिर्फ क्लर्क पैदा करने थे अतः उन्होंने वैसी ही व्यवस्था सथापित की। भारत के स्वतंत्र होने पर अपेक्षा थी कि यहां 'सत्यं वद धर्मं चर स्वाध्यायान्न प्रमदः' की परंपरा वाली श्रेष्ठ शिक्षा के पाठ्यक्रम बने जिससे विद्यार्थी दशा में ही सभी को अपनी संस्कृति के श्रेष्ठ और शाश्वत जीवन मूल्यों को अपनाने की प्रेरणा मिले। पर दुर्भाग्य से आजादी के बाद भी शिक्षा भौतिक उन्नति तक सीमित रही। सार्वजनिक जीवन में घोर अधःपतन इसी का परिणाम है। इसे देखते हुए नीतिमत्ता और आध्यात्मिकता सिखाने वाली बातों का समावेश शिक्षा में किया जाना अत्यंत आवश्यक है ताकि वह संस्कृति की संवाहक बन सके।

14. शिक्षा का विस्तारः- प्रत्येक व्यक्ति की भौतिक उन्नति तथा मानवीय गुणों के उत्कर्ष के लिये न्यूनतम शिक्षा जरूरी है। इसी प्रकार देश की समृद्धि तथा संस्कृति के संवर्धन के लिये उच्च शिक्षा जरूरी है। पर अभी तक हम इन दोनों की पूर्ति के लिये जरूरी शिक्षा का विस्तार नहीं कर पाये हैं। अतः प्राथमिक शिक्षा के लिये हर ग्राम पंचायत में 8वीं कक्षा तक का पूर्ण प्राथमिक विद्यालय हो तथा उच्च शिक्षा के लिये प्रत्येक जिले में एक विश्वविद्यालय स्थापित हो।

15. आरोग्य सेवा का सुलभीकरण :- सरकार द्वारा उपलब्ध आरोग्य सेवा स्वयं बीमार है। गरीब जनता को शोषण के लिये निजी चिकित्सकों और निजी अस्पतालों के हवाले कर दिया गया है। गांवों तक आरोग्य सेवा को सुलभ करने के लिये अभियांत्रिकी में डिप्लोमा की तरह चिकित्सा में भी प्राथमिक आरोग्य डिप्लोमा प्रारंभ किया जाये। ये डिप्लोमाधारी या तो सरकारी आरोग्य केन्द्रों में काम करें या ग्रामों में ही प्रैक्टिस कर सकें। वर्तमान में डिग्री में लगने वाली वैद्यकीय शिक्षा लागत के एक चौथाई खर्च में ऐसे डिप्लोमा कोर्स को चलाया जा सकता है। प्रतयेक जिले के सिविल अस्पताल में यह डिप्लोमा कोर्स चलाया जाना चाहिए।

16. आयुर्वेद को प्राथमिकता :- आयुर्वेद भारत की चिकित्सा पद्धति है। पतन काल में उपेक्षा तथा रुढ़ियों में बंध जाने के कारण हम उसका समुचित उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। आयुर्वेद के माध्यम से जहां सस्ती आरोग्य सेवा उपलब्ध हो सकती है वहीं वर्तमान में जिन रोगों का सफल निवारण नहीं हो पाता उनकी भी चिकित्सा आयुर्वेद से हो सकती है। अतः आयुर्वेद के विकास और अनुसंधान के लिये अधिकाधिक आर्थिक संसाधन उपलब्ध कराने की नीति बनाना आवश्यक है।

17. आवास का मौलिक अधिका :- गरिमापूर्ण जीवनयापन के लिये आवास प्राथमिक आवश्यकता है। पर देश में करोड़ों लोग आज भी आवासविहीन हैं। आवास को संविधान में मौलिक अधिकार बनाया जाये तथा इसमें प्राथमिकता के तौर पर कम से कम सभी को आवास भूमि उपलब्ध करायी जाये ताकि वे आवास का निर्माण अपने पुरुषार्थ, सरकारी सहायता, सामाजिक सहायता आदि से कर सकें।

18. यातायात और परिवहन-रेलवे को प्राथमिकता :- वर्तमान में सरकार यातायात और परिवहन के लिये सड़क निर्माण को प्रधानता दे रही है। पर रेल से तुलना करने पर जहां सड़क निर्माण तथा रखरखाव पर कई गुना खर्च आता है वहीं ईंधन ऊर्जा की खपत भी सड़क यातायात में अधिक होती है। इससे देश की आयात पर निर्भरता बढ़ रही है तथा प्रदूषण की समस्या भी विकराल होती जा रही है। अत: यातायात और परिवहन के लिये रेलमार्ग को प्रधानता मिलनी चाहिए। गुजरात में जैसा सघन रेलमार्ग हैं वैसे ही रेलमार्गों का विस्तार यथासंभव देश के अन्य भागों में भी होना चाहिए।

19. विश्व व्यापार :- भारतीय मनीषियों ने आज्ञा दी है- 'कृण्वंतो विश्वमार्यम्' अर्थात विश्व को श्रेष्ठ बनाओ। अत: दूसरों का शोषण हमारा लक्ष्य नहीं हो सकता। विश्व व्यपार का मूल तत्व है- तुलनात्मक श्रेष्ठता (Comperative Advantage) पर वर्तमान मुक्त विश्व व्यापार नीति में इस मूल तत्व का उल्लंघन हो रहा है। जब एक देश की कंपनी दूसरे देश में जाकर संसाधनों पर कब्जा करके उत्पादनक करती है तो उसकी अपनी 'तुलनात्मक श्रेष्ठता' उसी के शोषण का जरिया बन जाती है। अत: सभी देशों की मौलिक 'तुलनात्मक श्रेष्ठता' का लाभ उन्हीं को हो पर विश्व व्यापार से सभी को लाभ भी हो इसके लिये विश्व व्यापार की नीति होनी चाहिए- ''अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिये हां, पर बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिये ना।''

20. राष्ट्रीय एकता-धर्म निरपेक्षता का अतिरेक दूर हो :- गांधी राष्ट्रीय एकता के अग्रदूत तो थे पर साथ ही कट्टर सनातनी हिंदू भी थे। उन्होंने अपने धर्म के बारे में एक बार कहा था- ''हिंदू धर्म आज थका हुआ बैठा है। पर शीघ्र ही वह उठ खड़ा होगा और पूर्व की अपेक्षा अधिक दिव्य रूप धारण करेगा।'' पर धर्मनिरपेक्षता के नाम पर देश में ऐसी नीतियां थोपी जा रहीं है कि लगता है कि दिव्यरूप धारण करने की जगह हिंदू धर्म का दम ही घुट जायेगा। अत: हम धर्म निरपेक्षता का पुरस्कार तो अवश्य करें पर धर्मनिरपेक्षता के नाम पर हिन्दू धर्म का मार्ग अवरुद्ध न करें।

21. संविधान का परिष्कार :- भारत में स्थापित वर्तमान व्यवस्था में उपरोक्त सुधार करने तथा अन्य भी छोटी-बड़ी विसंगतियों को दूर करने के लिये जहां जरूरी हो वहां संविधान में संशोधन करना होगा। संविधान को पूरी तरह न बदलते हए उसमें उपरोक्त सुधार करके उसका परिष्कार करना होगा।

समग्र शोध संस्थान

संयोजक
के. एन. गोविंदाचार्य

सहसंयोजक
सुरेन्द्र बिष्ट